न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–14 / अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एस.सी. / एस.टी. एक्ट प्रयागराज।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3085 / 2026

UPAD010085422026

उमेश निषाद पुत्र सन्तोष निषाद, निवासी 307 सदियापुर, थाना करैली, जनपद प्रयागराज।

.....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–127 / 2024
अन्तर्गत धारा–85, 80(2), भा.न्याय संहिता
धारा– 3 / 4 दहेज प्रति. अधिनियम
थाना–करैली, जनपद प्रयागराज।

दिनांक–04.08.2026

यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त **उमेश निषाद** की ओर से मु0अ0सं0–127 / 2024, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), भा.न्याय संहिता, धारा–3 / 4 दहेज प्रति. अधिनियम, थाना करैली, जिला प्रयागराज के मामले में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में आवेदक / अभियुक्त के छोटे भाई / पैरोकार दीपक निषाद के द्वारा अपना शपथपत्र दिया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामबाबू निषाद द्वारा दिनांक–08.07.2024 को समय 01.03 बजे सम्बन्धित थाना करेली पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है कि वादी की बहन पूनम निषाद की शादी दो वर्ष पूर्व सदियापुर में उमेश निषाद पुत्र सन्तोष निषाद के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रार्थी की बहन के ससुरालीजनों द्वारा कम दहेज का ताना देकर मारा पीटा जाने लगा था। जिसका समझौता दो–तीन बार हुआ था। पूनम निषाद के ससुरालीजनों में पति उमेश निषाद, देवर दीपक निषाद, ननद सुबी निषाद, ससुर सन्तोष निषाद व पूनम की सास उक्त सभी लोग दिनांक 07.07.2024 को सुबह में ही पूनम निषाद को मारे पीटे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जिसकी सूचना वादी की बहन ने फोन करके वादी को बताया था। शाम को लगभग 7 बजे पूनम निषाद के पति उमेश ने वादी के घर पर फोन करके बताया की पूनम निषाद ने फांसी लगा ली है तो वादी की मां ने कहा उसको नीचे उतार दो। इतने में वह फोन काट दिया। वादी जब अपने घर वालो के साथ बहन के ससुराल पहुंचा तो वह मृत जमीन

पर पड़ी थी और उसके ससुरालीजन घर छोड़कर भाग गये थे। उपरोक्त लोगों ने वादी की बहन को दहेज के लिए मारकर लटका दिया है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना करेली प्रयागराज पर अभियुक्त उमेश निषाद एवं 4 अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–127/2024, धारा–85, 80(2), बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रति. अधिनियम का पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–85, 80(2), बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रति. अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदक मृतका का पति है आवेदक/अभियुक्त ने कभी भी मृतका एवं उसके परिवार वालों से न तो दहेज की मांग किया था और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया था और न ही उसे शादी में कुछ मिला था। आवेदक ने मृतका के साथ प्रेम विवाह किया था, इसलिए दहेज लेने–देने के लिए प्रताड़ित करना मात्र कपोल कल्पित एवं मनगढ़ंत कहानी है। वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई घटना कारित नहीं किया है, बल्कि पति होने के नाते उसे परेशान करने/दबाव बनाने की मंशा से मुल्जिम बनाया गया है। आवेदक की पत्नी मृतका का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आये दिन झगड़ा फसाद करती रहती थी और उसी वजह से मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण मृतका ने आत्महत्या कर लिया, इसमें आवेदक का कोई दोष नहीं है। आवेदक का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, इसके अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा, पी.डब्लू.–2 मृतका की मां, पी.डब्लू.–3, मृतका के पिता एवं पी.डब्लू.–4 मृतका की छोटी बहन न्यायालय के समक्ष दौरान साक्ष्य अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, इसलिए प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। अतः आवेदक/अभियुक्त को द्वितीय जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बहन/मृतका पूनम से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी और यह मांग पूरी न होने पर, मृतका को प्रताड़ित कर, दहेज हत्या जैसा गम्भीर अपराध कारित किया। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। न्यायलय द्वारा पूर्व में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है। द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र में कोई नवीन आधार नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त जो कि मृतका का पति है, उस पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग किये जाने और मांग पूरी न होने पर, मृतका की फांसी लगाकर दहेज हत्या किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का तत्कालिक कारण Asphyxia Dues to Ante mortem Hanging अंकित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के दो वर्ष के भीतर ही अस्वाभाविक परिस्थितियों में ससुराल में हुयी है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने बयान धारा–180 बी.एन.एस.एस. में मृत्यु पूर्व मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग व इस हेतु उसे प्रताड़ित किये जाने का स्पष्टतः कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आवेदक/अभियुक्त की प्रथम जमानत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्त की जा चुकी है। यह सुस्थापित विधिक सिद्वान्त है कि द्वितीय जमानत आवेदन पर तभी विचार कया जा सकता है, जब परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन हो अथवा ऐसे नवीन तथ्य सामने आये जो पूर्व विचारण के समय उपलब्ध नहीं थे। वर्तमान आवेदन में अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा, पी.डब्लू.–2 मृतका की मां, पी.डब्लू.–3, मृतका के पिता एवं पी.डब्लू.–4 मृतका की छोटी बहन के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये जाने का आधार बनाया गया है। इस आधार को इस स्तर पर विचार में लिया जाना विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि अभियोजन के उक्त साक्षीगण के साक्ष्य पर निर्णय के स्तर पर विचार किया जाना उचित होगा और इसे द्वितीय जमानत आवेदन के नवीन आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने का प्रश्न है तो उसे निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आवेदक/अभियुक्त की प्रकरण में अभिकथित सक्रिय सहभागिता/संलिप्तता एवं आरोपित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार उसका द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **उमेश निषाद** की ओर से मु0अ0सं0–127/2024, अन्तर्गत धारा–85, 80(2), भा.न्याय संहिता, धारा–3/4 दहेज प्रति. अधिनियम, थाना करैली, जिला प्रयागराज , के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3085/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.08.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–14/
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट
प्रयागराज।